



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2017/पौष 27, 1938

No. 154]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2017/PAUSA 27, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

का.आ. 167(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों/स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, (1956 का 48) की धारा 8ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी-1 में उल्लिखित निम्नलिखित बीओटी (टोल परियोजनाओं) के रियायतग्राहियों को प्रयोक्ता शुल्क को उदग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था जिसमें शुल्क को निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

अब, रेजगारी की समस्या/सिक्कों की कमी तथा शुल्क प्लाजाओं पर रेजगारी के कारण लेन-देन में देरी के कारण प्रयोक्ताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार सारणी-1 में उल्लिखित बीओटी (टोल परियोजनाओं) की अधिसूचनाओं में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:

“शुल्क निकटतम रूपए के स्थान पर रूपए 5/- के गुणांक में संग्रहीत तथा पूर्णांकित किया जाएगा”।

सारणी-1

क्र. सं.	शुल्क अधिसूचना के ब्योरे		राजमार्ग खण्ड का नाम
	का. आ. संख्या	तारीख	
1	2712 (अ)	21.11.2008	अम्बाला-चंडीगढ़
	1848 (अ)	28.07.2009	
2	3288 (अ)	24.12.2009	सिल्क बॉर्डर जंक्शन-होसूर
3	842 (अ)	27.04.2011	नीलमंगला जंक्शन-देवीहल्ली
4	1849 (अ)	08.08.2011	बंगलौर-होस्कोट-मुलबगल
5	760 (अ)	18.03.2009	विजयवाड़ा-चिल्कौरीपेट
	3320 (अ)	30.12.2014	

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/2016-17]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2017

S.O. 167(E).— In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government authorized the Concessionaires of following BOT (Toll) Projects mentioned in Table-1 for levy and collection of user fee wherein the fee shall be rounded off to nearest rupee.

Now, considering problem of change/shortage of coins and inconvenience to the users due to delays at Fee Plazas in transactions on account of change, the Central Government hereby makes the following amendment in the notifications of BOT (Toll) Projects mentioned in Table-1:

“The fee shall be rounded off and levied in multiple of the nearest Rs.5/- instead of nearest rupee.”

TABLE-1

Sl. No.	Details of Fee Notification		Name of Highway Section
	S.O. No.	Date	
1	2712 (E)	21.11.2008	Ambala-Chandigarh
	1848 (E)	28.07.2009	
2	3288(E)	24.12.2009	Silk Border Junction – Hosur
3	842(E)	27.04.2011	Neelamangla Junction – Devihalli
4	1849(E)	08.08.2011	Bangalore-Hoskote-Mulbagal
5	760(E)	18.03.2009	Vijaywada-Chilkauripet
	3320(E)	30.12.2014	

[F. No. NHAI/13013/CO/2016-17]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.